प्रेस नोट **08/02/2024**

एक शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी के विभिन्न प्रकार के सामान बरामद-

दिनांक 07.02.2024 थाना कोपागंज में चोरी के आरोप में वादी तथा आस पास के लोगों द्वारा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति फिरोज अहमद पुत्र स्व0 इकबाल अहमद निवासी वाजिदपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को पकड़कर थाना स्थानीय पर सुपुर्द किया गया जिसके कब्जे से 9 अदद लोहे की छड़, 150 अदद लोहे की रिंग तथा एक लोहे की दुरमुश बरामद किया गया, इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/24 धारा 379,411 भादवि का अभियोग पजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चार वांरण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 08.02.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार वांरण्टी अभियुक्त अरुण कुमार सिंह पुत्र शैलेन्द्र सिंह निवासी दक्षिण टोला महरनिया थाना कोतवाली नगर तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा वांरण्टी अभियुक्त रामू पुत्र नखडू निवासी मानिपुर हडउवा थाना घोसी तथा कोपागंज पुलिस द्वारा वांरण्टी अभियुक्त अतिकुर्रहमान पुत्र हतुबुर्रहमान निवासी पुराना पुरा कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज तथा हलधरपुर पुलिस द्वारा वांरण्टी अभियुक्त संतोष पुरी पुत्र रामशब्द पुरी निवासी तांगुरभार थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान किया गया।

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध अभियुक्त 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹5000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 08–02–2024 को, मु0अ0सं0 437/1999 धारा 323,352,427,440 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना सरायलखंसी में दोषसिद्ध अभियुक्त प्रवीण राय पुत्र मारकण्डेय राय निवासी बड़ागांव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹5000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सतेन्द्र राय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी केश कुमार थाना सरायलखंसी का सराहनीय योगदान रहा।